-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बिसंडा पुलिस द्वारा डीजे मशीन चोरी करने वाले अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की डीजे मशीन सहित अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिसंडा पुलिस द्वारा डीजे की मशीन चोरी करने वाले अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना बिसण्डा क्षेत्र के अमवा के रहने वाले रमजान पुत्र लिझुवा ने थाना बिसण्डा पर सूचना दी कि दिनांक 20/21.06.2026 की रात्रि में अपने चचेरे भाई के साथ डीजे के बगल में सोया था तभी गांव का बबलू पुत्र जामीद भी आकर सो गया जब नींद खुली तो उक्त बबलू वहां नहीं था तथा डीजे की मशीन भी गायब थी। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसण्डा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 24/25.06.2026 की रात्रि को थाना बिसण्डा द्वारा रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति कुछ सामान लेकर अतर्रा रोड नहर पुलिया के पास खड़ा है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए उक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ साथ ही मौके से चोरी की गई डीजे मशीन भी बरामद की गई।

बरामदगी-

- 01 डीजे मशीन (चोरी के)
- 01 अवैध तमंचा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बबलू पुत्र जामीद निवासी अमवा थाना बिसंडा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 283/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बिसंडा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 291/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसंडा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी थानाध्यक्ष बिसंडा
2. श्री अनुराग पाण्डेय चौकी प्रभारी सिंहपुर
3. कां0 अजय यादव
4. रि0कां0 आदर्श यादव